उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद
U.P. COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
राजकीय उद्यान, करियप्पा मार्ग, आलमबाग, लखनऊ–226005
Rajkiya Udhyan, Cariappa Road, Alambagh, Lucknow-226005

पत्रांक:1430 / एनआरएम / डब्लूबीएसएलएएजी / पीएल / 2021 दिनॉक:06.11.2025

दिनांक : 06 नवम्बर, 2025
समय : 12:00 बजे
स्थान : उपकार सभाकक्ष
उपस्थिति : संलग्न

मौसम आधारित राज्य स्तरीय कृषि परामर्श समूह (क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप) की वर्ष 2024–25 की सोलहवीं बैठक की कृषकों के उपयोगार्थ संस्तुतियॉ

क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की वर्ष 2024–25 की सोलहवीं बैठक श्री ए.के. सिंह, सचिव, उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 06 नवम्बर, 2025 को परिषद के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के राईस ब्रीडर व मौसम वैज्ञानिक; शुआट्स, प्रयागराज के तकनीकी अधिकारी; आंचलिक भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, अमौसी, लखनऊ; गन्ना विभाग; उद्यान विभाग, कृषि विभाग तथा उपकार के वैज्ञानिकों / अधिकारियों ने भाग लिया। उक्त के अतिरिक्त बैठक में रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी; बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा; सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ; आचार्य, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के पूर्व गेहूं प्रजनक; उ.प्र. डिजास्टर मैनेजमेंट एथारिटी; सीएएफआरआई, झांसी; कृषि विभाग एवं बी.एच.यू., वाराणसी के वैज्ञानिकों ने ऑनलाइन प्रतिभाग किया।

प्रथम सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान (07 से 13 नवम्बर, 2025)

भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार इस सप्ताह के दौरान प्रदेश के समस्त कृषि जलवायु अंचलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है।

इस सप्ताह के दौरान प्रदेश के भाभर–तराई क्षेत्र के पश्चिमी एवं मध्य भाग, पश्चिमी मैदानी, मध्य पश्चिमी मैदानी एवं बुंदेलखंड क्षेत्र के अधिकांश भाग तथा मध्य पश्चिमी एवं मध्य मैदानी क्षेत्र के पूर्वी भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान सामान्य से (02 से 04 डिग्री से.) कम जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह सामान्य के आसपास या सामान्य से आंशिक रूप से कम रहने की संभावना है।

प्रदेश के भाभर–तराई क्षेत्र के पश्चिमी भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री से., पश्चिमी मैदानी एवं मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के अधिकांश भाग तथा मध्य मैदानी क्षेत्र के उत्तर भाग में यह 28 से 30 डिग्री से. जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह 30 से 32 डिग्री से. रहने की संभावना है।

प्रदेश के समस्त कृषि जलवायु अंचलों में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास या सामान्य से आंशिक रूप से कम रहने की संभावना है।

प्रदेश के भाभर–तराई क्षेत्र के पश्चिमी भाग एवं विंध्य क्षेत्र के अधिकांश भाग में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री से., उत्तर–पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अधिकांश भाग में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री से. जबकि अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह 14 से 16 डिग्री से. रहने की संभावना है।

द्वितीय सप्ताह का मौसम दृष्टिकोण (14 से 20 नवम्बर, 2025)

इस सप्ताह के दौरान प्रदेश के कृषि जलवायु अंचलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश के अधिकांश कृषि जलवायु अंचलों में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास या सामान्य से आंशिक रूप से कम रहने की संभावना है।

प्रदेश के भाभर–तराई क्षेत्र के पश्चिमी भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री से., पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के अधिकांश भाग एवं मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के पश्चिमी भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री से. जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह 30 से 32 डिग्री से. रहने की संभावना है।

प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के अधिकांश भाग में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान सामान्य से (02 से 04 डिग्री से.) कम जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह सामान्य के आसपास या सामान्य से आंशिक रूप से कम रहने की संभावना है।

प्रदेश के भाभर–तराई क्षेत्र के पश्चिमी भाग, पश्चिमी मैदानी एवं विंध्य क्षेत्र के अधिकांश भाग तथा दक्षिणी–पश्चिमी अर्द्धशुष्क मैदानी क्षेत्र के पश्चिमी भाग में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री से. जबकि अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह 12 से 14 डिग्री से. रहने की संभावना है।

कृषि विभाग, उ.प्र. द्वारा उपलब्ध कराये गये दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल रबी की बुवाई का लक्ष्य 138.78 लाख हे. के सापेक्ष कुल रबी फसलों की बुवाई 25.33 लाख हे. में हुई है जो लक्ष्य का 18.25 प्रतिशत है। गेहूँ के आच्छादन लक्ष्य 95.19 लाख हे. के सापेक्ष 2.56 लाख हे. में बुआई हुई जो लक्ष्य का 2.7 प्रतिशत है। जौ के आच्छादन लक्ष्य 2.00 लाख हे. के सापेक्ष 0.12 लाख हे. में बुआई हुई जो लक्ष्य का 6.42 प्रतिशत है। मक्का के आच्छादन लक्ष्य 0.36 लाख के सापेक्ष 0.02 लाख हे. में बुआई हुई जो लक्ष्य का 5.8 प्रतिशत है। चना के लक्ष्य 6.90 लाख हे. के सापेक्ष 3.02 लाख हे. में बुआई हुई जो लक्ष्य का 43.77 प्रतिशत है। मटर के लक्ष्य 4.00 लाख हे. के सापेक्ष 2.09 लाख हे. में बुआई हुई जो लक्ष्य का 52.26 प्रतिशत है। मसूर के लक्ष्य 6.64 लाख हे. के सापेक्ष 2.38 लाख हे. में बुआई हुई जो लक्ष्य का 35.98 प्रतिशत है। तिलहनी फसलों में तोरिया की बुवाई लक्ष्य 5.00 लाख हे. के सापेक्ष 4.64 लाख हे. में हुई है जो लक्ष्य का 92.81 प्रतिशत है जबकि राई–सरसों के 18.23 लाख हे. लक्ष्य के सापेक्ष 10.25 लाख हे. में बुवाई हुई जो लक्ष्य का 56.24 प्रतिशत है। अलसी के 0.46 लाख हे. लक्ष्य के सापेक्ष 0.23 लाख हे. में बुवाई हुई जो लक्ष्य का 49.37 प्रतिशत है।

प्रदेश में मौसम के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसानों को अगले दो सप्ताह हेतु कृषि प्रबन्धन के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैंः–

- प्रदेश के अधिकांश जनपदों में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में मध्यम से भारी वर्षा के दृष्टिगत कृषकों को सलाह दी जाती है कि वह उचित नमी की दशा मे ही रबी फसलों की बुवाई करें।
- रबी फसलों की बुवाई के लिये चयनित किस्म का स्वस्थ, शुद्ध एवं प्रमाणित बीज ही प्रयोग करें। बीज शोधन के बाद ही बुवाई करें।
- रबी फसल गेहूं में मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग किया जाय यदि पूर्व फसल में बुवाई के समय जिंक का प्रयोग न किया गया हो तो जिंक सल्फेट का प्रयोग खड़ी फसल में संस्तुति के अनुसार किया जाय।
- कृषक मौसम के बदलते परिवेश में सिंचित दशा में समय से बोई जाने वाली गेहूं की ताप सहिष्णु संस्तुत किस्मों की ही बुवाई करें जिससे परिपक्वता के समय अधिक ताप से उपज में होने वाली कमी से बचा जा सके।
- गेहूं की खेती जीरो टिलेज विधि द्वारा करना लाभकारी है अतः कृषक अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में हुई वर्षा का लाभ लेते हुये उचित नमी की दशा में गेहूं की बुवाई जीरो टिलेज विधि से करें।
- भूमि जनित एवं बीज जनित रोगों के नियन्त्रण हेतु बायोपेस्टीसाइड (जैव कवकनाशी) ट्राईकाडर्मा विरडी 1 प्रतिशत डब्लू.पी. अथवा ट्राइकोडर्मा हारजिएनम 2 प्रतिशत डब्लू.पी. की 2.5 किग्रा. मात्रा प्रति हे. 60–70 किग्रा. सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर हल्के पानी का छींटा देकर 8–10 दिन तक छाया में रखने के उपरान्त बुआई से पूर्व आखिरी जुताई पर भूमि में मिला देने से अनावृत्त कण्डुआ, करनाल बन्ट आदि रोगों के प्रबन्ध में सहायता मिलती है। इसे मिलाते समय भूमि में नमी का भी ध्यान रखें।
- दलहनी फसलों के बीज शोधित एवं उपचारित न होने की स्थिति में राइजोबियम कल्चर तथा पी.एस.बी. से उपचारित करने के बाद ही बुवाई करें। दलहनी फसलों में 100 कि.ग्रा. डी.ए.पी. के साथ 20 कि.ग्रा. गंधक प्रति हे. की दर से बुवाई के समय प्रयोग करें।
- विलम्ब से बुवाई करने के लिये सरसों की बी.पी.एम.–11, वरदान, राधिका व आर्शीवाद प्रजातियों का चयन करें।

गेहूँ की खेती

- प्रदेश के दक्षिणी–पश्चिमी अर्द्धशुष्क मैदानी तथा मध्य मैदानी क्षेत्रों के लिये गेहूं की संस्तुत किस्मों–एच. डी. –3086, एच.डी.–3298, पी.बी.डब्लू.–752, उन्नत पी.बी.डब्लू.–343 की बुवाई करें।
- प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र के लिए गेहूं की संस्तुत किस्मों यथा एच. डी.– 3271, एच. डी. – 3369, एच. आई.–8759, डब्लू. बी.–2, डी.बी.डब्लू.–55, डी.बी.डब्लू.–359 की बुवाई करें
- प्रदेश के विन्ध्य क्षेत्र के लिए गेहूं की संस्तुत किस्मों यथा एच. डी.–3226, डी बी डब्लू–173 की बुवाई करें।
- प्रदेश के उत्तर–पूर्वी व पूर्वी मैदानी क्षेत्रों के लिए गेहूं की संस्तुत किस्मों यथा एच. डी.–2967, एच. डी.–3226, एच. डी. 3928, एच. डी.– 3086, एच. डी.– 3271, एच. डी.–3046 आदि की बुवाई करें।
- गेहूं की संस्तुत किस्मों यथा डी.बी.डब्लू.–187, डी.बी.डब्लू.–222, डी.बी.डब्लू.–303, डी.बी.डब्लू–296, डी. बी.डब्लू.–371 की बुवाई प्रदेश के समस्त कृषि जलवायु अंचलों मे की जा सकती है।
- जलवायु के बदलते परिवेश में सिंचित दशा में समय से बोई जाने वाली गेहूं की ताप सहिष्णु संस्तुत किस्मों एच.डी.–3293, डी.बी.डब्लू.–327 (करण शिवानी), डी.बी.डब्लू.–296 (करण ऐश्वर्या), डी.बी.डब्लू. –90 (ई), एच.डी.–3388 (पूसा यशोधरा) की बुवाई को प्राथमिकता दें।
- सिंचित दशा में समय से बोई जाने वाली गेहूं की किस्मों की बुवाई 15 नवम्बर तक करें।
- यदि बीज शोधित न हो तो अनावृत कण्डुआ एवं करनाल बन्ट के नियंत्रण हेतु थीरम 75 प्रतिशत डब्लू. एस. की 2.5 ग्राम अथवा कार्बेन्डाजिम 50 प्रतिशत डब्लू.पी. की 2.5 ग्राम अथवा कार्बाक्सिन 75 प्रतिशत डब्लू.पी. की 2.0 ग्राम अथवा टेबूकोनाजोल 2 प्रतिशत डी.एस. की 1.0 ग्राम मात्रा प्रति किग्रा. बीज अथवा 5 ग्रा. ट्राइकोडर्मा बिरडी/हार्जेनियम प्रति किग्रा. बीज की दर से बीज शोधन कर बुवाई करें।
- बीज जनित सेंहू रोग से बचाव हेतु बुवाई से पूर्व बीज को 2 प्रतिशत नमक के घोल में डुबायें (200 ग्रा. नमक को 10 ली. पानी में घोलकर) जिससे रोगग्रसित बीज हल्का होकर तैरने लगे तैरते बीजों को निकालकर नष्ट कर दें।
- कठिया गेहूँ की खेती के लिये संस्तुत किस्में यथा आरनेज 9–30–1, मेघदूत, विजगा यलो जे.यू.–12, जी.डब्लू. 2, एच.डी. 4672, सुजाता, एच.आई. 8627 आदि की बुवाई अतिशीघ्र समाप्त करें।

धान का भण्डारण

- धान के बीज का भण्डारण 10 से 12 प्रतिशत नमी पर (दांत से काटने पर कट की आवाज आने पर) करें।
- भण्डारण से पूर्व भण्डार गृह, कुठला, बखारी आदि को मैलाथियान 50 प्रतिशत ई.सी. के 1:100 के अनुपात में घोल बनाकर 30 ली. प्रति 100 वर्ग मी. की दर से फर्श, दीवार एवं छत पर छिड़काव करें ताकि छिपे हुये कीट मर जायें।
- यदि भण्डारण कक्ष में बोरियों में भण्डारण करना है तो कीटों की सुरक्षा की दृष्टि से एलुमीनियम फास्फाईड पाऊडर/पाऊच 56 प्रतिशत 10 ग्रा. पैकेजिंग का 150 ग्रा./100 घन मी. या एलुमीनियम फास्फाईड 15 प्रतिशत 12 ग्रा. पैकेजिंग (टैबलेट) का 600 ग्रा./100 घन मी. की दर से बोरियों के बीच रख दें तथा भण्डारण को अच्छी तरह से बंद कर वायुरोधी कर दें।

जौ की खेती

- जौ की छिलकायुक्त संस्तुत किस्मों आर.एस.–6, के–125 (आजाद), के.–560 (हरीतिमा), के–603 व छिलकारहित किस्म के–1149 (गीतांजली) की बुवाई यथाशीघ्र करें।
- जौ की सिंचित दशा के लिये छिलकायुक्त संस्तुत किस्मों जैसे के.–1055 (प्रखर), के.–287 (जागृति), के.–409 (प्रीति), नरेन्द्र जौ–एन.डी.बी.–940, एन.डी.बी.–1173, एन.डी.बी.–1145 व छिलकारहित संस्तुत किस्म एन.डी.बी.–943, मार्ट हेतु संस्तुत किस्म डी.डब्लू.आर.–28, के.–551 (ऋतम्भरा), डी.बी.डब्लू.आर. बी.–101, डी.बी.डब्लू.आर.बी.–137 की बुवाई करें।

तिलहनी फसलों की खेती

- बुवाई से 15 से 20 दिन अंदर घने पौधों को निकालकर (थिनिंग) उनकी आपसी दूरी 15 से.मी. कर देना आवश्यक है।

- राई–सरसों में आरा मक्खी का प्रकोप होने पर नियंत्रण हेतु डाईमेथोएट 30 प्रतिशत ई.सी. अथवा क्यूनॉलफास 25 प्रतिशत ई.सी. की 1.25 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 750 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।
- कुसुम की प्रजातियों के–65 व मालवीय कुसुम–305 की बुवाई करें।
- अलसी की बीज उद्देश्यीय प्रजातियों यथा रजनी (एलसीके–1009), यूटेरा (आरएलसी–153), जेएलएस–95 तथा समय से बोई जाने वाली प्रजातियों यथा बीयूएटी अलसी–4, कोटा अलसी–6, राजन (एलसीके–1009, उत्तेरा अलसी–2, इंदु तथा द्विउद्देश्यीय प्रजातियों यथा आजाद प्रज्ञा, रूचि, पार्वती आदि के बीज की बुवाई यथाशीघ्र समाप्त करें।

दलहन की खेती

- चना की सम्पूर्ण उ.प्र. हेतु देशी संस्तुत प्रजातियों जी.एन.जी.–2144, जी.एन.जी.–2171, उ.प्र. के मैदानी क्षेत्रों हेतु बी.जी.–3034, आईपीसी–2011–112, जवाहर ग्राम–24, पूसा पार्वती (बी.जी.–3062), आर.बी. जी.–210, आईपीसी–2006–77 तथा काबुली चना की सम्पूर्ण उ.प्र. हेतु संस्तुत प्रजाति फूले विक्रम (जी–08108), एच.के–94–134, पूर्वी उ.प्र. हेतु पूसा–1003, पश्चिमी उ.प्र. हेतु चमत्कार (वी.जी.–1053) तथा बुन्देलखण्ड हेतु संस्तुत जी.एन.जी.–1985, उज्जवल व शुभ्रा प्रजातियों की बुवाई करें।
- मटर की किस्मों यथा, आईपीएफडी–13–2 (अनंत), एचएफपी–1428, आईपीएफडी–12–8, पंत मटर–347, आईपीएफडी–6–3, आईपीएफडी–11–5, आईपीएफडी–2014–2, आईपीएफडी–13–2, आईपीएफडी–9–2, पी–250, आईपीएफ–16–13 की बुवाई करें।
- मसूर की किस्मों यथा कोटा मसूर–3, आई.पी.एल.–526, आई.पी.एल.–321, आई.पी.एल.–220, आई.पी. एल.–315, आई.पी.एल.–225, के.एल.एस.–122 (शेखर–5), एल.–4717, एल.–4727 आदि की बुवाई करें।
- बुवाई से पूर्व 10 कि.ग्रा. बीज को मसूर के 01 पैकेट को 200 ग्रा. राईजोबियम लेग्यूमिनोसेरम कल्चर से उपचारित करें विशेषकर उन खेतों में जिनमें पहले मसूर नहीं बोई गई है।
- रबी राजमा की पूर्वी क्षेत्र हेतु संस्तुत उन्नतिशील किस्मों यथा पी.डी.आर.–14, मालवीय–137, उत्कर्ष, अम्बर व अरूण की बुवाई करें।

रबी मक्का की खेती

- रबी मक्के की संकर किस्मों यथा एल.जी.–32.81 (युवराज गोल्ड), पी.एम.एच.–3, एच.क्यू.पी.एम.–1, सीडटेक–2324, शक्तिमान–1, बुलंद; संकुल किस्मों यथा शियाट्स मक्का–3, शरदमणि, शक्ति–1; लावा की किस्में पर्ल पॉपकार्न, अम्बर पॉपकार्न; स्वीट कार्न की किस्में प्रिया स्वीट कॉर्न एवं माधुरी स्वीटकार्न की बुवाई करें।

गन्ना की खेती

- तापक्रम में गिरावट के दृष्टिगत शरदकालीन गन्ना की बुवाई का कार्य शीघ्र पूर्ण कर लें।
- शरदकालीन गन्ना के साथ अन्तःफसल की बुवाई हेतु गन्ना बुवाई के तुरंत बाद गन्ने की 02 लाइनों के बीच आलू अथवा सरसों अथवा सब्जी मटर अथवा मसूर अथवा फूलगोभी एवं पातगोभी की 02 लाइनें तथा लहसुन की 03 लाइनों की बुवाई करें।
- गन्ने की अंतःफसली खेती हेतु गन्ने की बुवाई ट्रेंच विधि से करें।
- जिन कृषकों ने सिंगल बड विधि द्वारा गन्ने की नर्सरी तैयार की है। धान की कटाई के बाद खेत तैयार कर उसका प्रत्यारोपण कर दें।
- चीनी मिलों में आपूर्ति हेतु गन्ने की कटाई जमीन की सतह से करें।
- रेड रॉट वाले खेतों में फसल चक्र अपनायें।

आलू की खेती

- बुवाई के 7–10 दिन पहले शीत भण्डार से बीज आलू को बाहर निकालें। शीत भण्डारण में भण्डारित बीज आलू में यदि अंकुर निकल आये तो उनको छॉटकर अलग कर दें। यदि शीत गृह में भण्डारण करने से पूर्व बीज आलू उपचारित न किया गया हो तो शीतगृह से आलू निकालकर छांटने के तुरन्त बाद आलू के कन्दों को बोरिक एसिड के 3 प्रतिशत घोल से 30 मिनट तक उपचारित करके छायादार स्थान में सुखा लें। अंकुरित बीज आलू को उपचारित न करें।

- आलू की मुख्य फसल हेतु उन्नत किस्मों यथा कुफरी बहार, कुफरी बादशाह, कुफरी आनन्द, कुफरी सतलज, कुफरी चिप्सोना–1, कुफरी चिप्सोना–3, कुफरी लालिमा, कुफरी सूर्या, कुफरी नीलकंठ, कुफरी मोहन, कुफरी अलंकार, कुफरी सुंदरी, कुफरी पुखराज, कुफरी हिमसोना, कुफरी ख्याति, कुफरी जवाहर, कुफरी अशोका आदि की बुवाई करें।
- बीज आलू उत्पादन हेतु सम्पूर्ण कन्द की बुआई सुनिश्चित करें।

सब्जियों की खेती

- रबी सब्जियों यथा फूलगोभी, पातगोभी, शिमला मिर्च, टमाटर आदि की नर्सरी डालने का समय है तथा पूर्व में रोपित पौध में निराई–गुड़ाई, मिट्टी चढ़ाना, टॉप ड्रेसिंग एवं आवश्यकतानुसार सिंचाई करें।
- एकीकृत कीट प्रबंधन के लिये गोभीवर्गीय फसलों में कर्ड/फूल बनने की अवस्था के समय नीम सीड करनेल एक्सट्रैक्ट 05 मि.ली./10 ली. पानी में मिलाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें।
- मटर की अगेती किस्मों यथा अर्किल, पंत मटर–155, पूसा श्री, काशी नन्दिनी, काशी उदय, काशी मुक्ति, आजाद पी–3, आजाद पी–1, अर्ली बैजर, काशी अगेती, पूसा मटर–3, आजाद मटर, जवाहर मटर–3, जवाहर मटर–4, पंत सब्जी मटर, पंत मटर–2 आदि की बुवाई करें।
- लहसुन की उन्नतशील किस्मों यथा एग्रीफाउण्ड व्हाइट, यमुना सफेद (जी–1), यमुना सफेद–2 (जी–50), यमुना सफेद–3 (जी–282), पन्त लोहित, यमुना सफेद–4, यमुना सफेद–5, यमुना सफेद–8, यमुना पर्पल–10, सफेद–जी एवं एग्रीफाउण्ड पार्वती की बुवाई करें।
- रबी प्याज की संस्तुत प्रजातियों यथा भीमा किरन, भीमा शक्ति, भीमा श्वेता, कल्याणपुर लाल गोल, पूसा रत्नार, एग्रीफाउण्ड लाइट रेड, एग्रीफाउण्ड व्हाइट, पूसा माधुवी, अर्का निकेतन की नर्सरी डालने हेतु बीज की व्यवस्था करें।
- पालक, मूली, शलजम, चुकन्दर, गाजर की संस्तुत प्रजातियों की बुवाई करें।
- मसाले वाली फसलें जैसे–धनिया, सौंफ, मेथी, कलौंजी, अजवाइन, जीरा तथा सोया की बुवाई का उचित समय है।
- फूलगोभी तथा पातगोभी की खड़ी फसल में 50 किग्रा. यूरिया/हे. की दर से टापड्रेसिंग करें।

बागवानी

- आम के बाग में प्रथम 10 वर्षों तक अधिक लाभ के लिए अन्तः फसल के रूप में आलू, मिर्च, टमाटर, मटर, लोबिया तथा ग्लैडियोलस की खेती करें।
- ऑवले में फल सड़न रोग की रोकथाम हेतु बोरेक्स (6–8 ग्राम/लीटर पानी) को छिड़काव करें तथा उर्वरकों की संस्तुत मात्रा का थालों में प्रयोग करें।
- नींबू में कैंकर रोग से बचाव हेतु कॉपर आक्सीक्लोराइड 3 ग्राम अथवा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 600 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।

पशुपालन

- राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुओं में लम्पी त्वचा रोग का टीकाकरण प्रत्येक जनपद में समस्त पशुचिकित्सालयों के माध्यम से टीकाकरण कार्यकर्ताओं द्वारा पशुपालन विभाग द्वारा निःशुल्क कराया जा रहा है। अतः पशुपालक इसका लाभ उठायें।
- किलनी/जू के संक्रमण से बचाव हेतु पशुबाड़ों में चूने का छिड़काव करें ताकि किलनी/जू के अंडे व लार्वा नष्ट हो जाय। इनके व्यस्क बाह्य परजीवी के संक्रमण से बचाव हेतु किलनीनाशक दवा का प्रयोग पशु चिकित्सक की सलाह पर करें।
- पशुओं को केवल हरा चारा न खिलायें उनको 60:40 के अनुपात में हरा एवं सूखा मिलाकर की खिलायें।
- प्रजनन संबंधी समस्त रोगों के निराकरण हेतु पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि हरा चारा, भूसा, पशु आहार के अतिरिक्त खनिज लवण अवश्य खिलायें।
- कृषकों/पशुपालकों के द्वार पर पशुचिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु विभाग के द्वारा मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने हेतु सभी कृषक/पशुपालक टोल फ्री हेल्पलाइन नं.–1962 पर सम्पर्क पर योजना का लाभ ले सकते हैं।
- पं.दीन दयाल उपाध्याय मेले का आयोजन मण्डल/जिला एवं विकास खण्ड के ग्रामों में आयोजित किया जा रहा है जिसमें निशुल्क चिकित्सा, दवापान एवं गोष्ठियों का भी आयोजन किया जा रहा है।

मत्स्य पालन

- तालाब में मछलियों के लिए पूरक आहार का प्रयोग कुल मछलियों के शरीर के भार के 1.8 प्रतिशत से ज्यादा नहीं करें।
- तालाब के पानी की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से जलीय प्रोबायोटिक्स का प्रयोग करें।
- तालाब की मिट्टी की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से मृदा प्रोबायोटिक्स अथवा 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जियोलाईट का प्रयोग नमीयुक्त बालू में मिलाकर करें।
- तालाब में जलीय खर–पतवार होने पर रासायनिक उर्वरक यथा सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग नहीं करें।
- कार्प मछलियों वाले तालाब में माह के अन्त में जाल अवश्य चलायें।
- पंगेशियस मछलियों वाले तालाब से तैयार मछलियों को निकालने का कार्य 15 नवम्बर तक अवश्य कर लें क्योंकि तापमान के गिरने से पंगेशियस मछलियों के मरने की संभावनायें बढ़ जाती है। यदि पंगेशियस मछली छोटी हैं (बिक्री योग्य नहीं है) तो ठंड से बचाने के लिए तालाब के पानी की गहराई 8–10 फीट रखना चाहिए अथवा पूरे ठंड के मौसम तक रात्रि में बोरिंग का पानी तालाब के मध्य में तलहटी में डालना चाहिए एवं 8 फिट पानी का स्तर होने के बाद ऊपर से एक निकासी का पाईप लगाना देना चाहिए।
- तालाब में चूना का प्रयोग 15 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से 15 दिनों के अंतराल पर करें।
- मछलियों को संक्रमण से बचानें के लिए प्रति एकड़ 400 ग्राम पोटाशियम परमेग्नेट या 500 मिलीग्राम प्रति एकड़ की दर से वाटर सेनिटाइजर का प्रयोग करें।
- तालाब का पानी ज्यादा हरा होने पर चूना एवं रासायनिक खाद का प्रयोग बंद कर दें एवं 800 ग्राम कॉपर सल्फेट का प्रयोग पानी में घोल कर करें।

रेशम पालन

- शहतूती, टसर एवं एरी कीटाण्ड कीट पालन का कार्य प्रगति पर है। अतः कीटपालकों को सुझाव दिया जाता है कि कीट पालन के समय साफ–सफाई एवं आवश्यकतानुसार रेशम कीट औषधि जैसे विजेता या आर.के.ओ. का छिड़काव करें, जिससे कीटों में आने वाली बीमारियों को रोका जा सकें।
- कृषक/कीटपालक ई–डिस्ट्रिक विभागीय यू.आर.एल. ***http://sericulture.eservicesup.in*** पर अपना पंजीकरण कराते हुये आवश्यक कीटाण्ड मात्रा आरक्षित करा लें। किसी भी प्रकार की असुविधा/जानकारी के लिये दिये गये नंबर पर सम्पर्क करें 7388305554 ।

वानिकी

- कृषि के साथ कम छाया वाले वृक्ष जैसे–पापुलर, युकेलिप्टस, सुबबूल लगायें।

राज्य आपदा प्रबंधन

- कृषकों को राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0)और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एन0डी0आर0एफ0) से सहायता देने की विभिन मदें और मानदण्ड निर्धारित हैं। जिसकी जानकारी कृषक राहत आपदा कंट्रोल रूम नंबर 1070 से सम्पर्क कर उठा सकते हैं ।
- आपदा प्रबंधन हेतु अधिक जानकारी के लिए सम्बंधित जनपद के डिस्ट्रिक डिजास्टर मैनेजमेन्ट एथोरिटी से सम्पर्क स्थापित करें।

नोटः– क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की बैठक की संस्तुतियां वेबसाईट *upcar.up.gov.in* पर भी उपलब्ध हैं।

- क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की संस्तुतियां कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा एफ.पी.ओ. को प्रेषित की जा रही हैं, इनसे अनुरोध है कि यदि इनके कोई सुझाव हो तो परिषद के ईमेल upcar12@gmail.com पर प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे आगामी बैठकों में उनके सुझावों पर चर्चा कर संस्तुतियां दी जा सकें।

(ए.के. सिंह)
सचिव

प्रतिलिपिः उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन को माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन को माननीय राज्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, को माननीय अध्यक्ष जी के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
5. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन को महोदय के सूचनार्थ।
6. प्रमुख सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
7. अपर मुख्य सचिव, उद्यान, उ.प्र. शासन।
8. अपर मुख्य सचिव, पशुपालन, उ.प्र. शासन।
9. अपर मुख्य सचिव, मत्स्य, उ.प्र. शासन।
10. अपर मुख्य सचिव, रेशम, उ.प्र. शासन।
11. अपर मुख्य सचिव, नियोजन योजना भवन, लखनऊ।
12. कुलपति, च.शे.आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, आ.न.दे.कृ. एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ, बॉदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बॉदा, सै. हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
13. गन्ना आयुक्त, गन्ना आयुक्त कार्यालय, 17 न्यू बेरी रोड, गन्ना किसान संस्थान, डालीबाग, लखनऊ।
14. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ.प्र., केसरबाग, लखनऊ।
15. राहत आयुक्त, उ.प्र. को इस आशय से प्रेषित कि वह ग्राम प्रधान को समूह की संस्तुतियां प्रेषित करेगें।
16. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ. प्र. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ।
17. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
18. निदेशक कृषि, कृषि भवन, लखनऊ।
19. निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ।
20. निदेशक, केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ।
21. निदेशक, राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, लखनऊ।
22. अध्यक्ष, केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ।
23. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर।
24. निदेशक, रेशम, रेशम विभाग, गोमती नगर, लखनऊ।
25. निदेशक, मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, फैजाबाद रोड, लखनऊ।
26. निदेशक, उद्यान, उद्यान विभाग, लखनऊ।
27. निदेशक, पशुपालन, पशुपालन विभाग, लखनऊ।
28. निदेशक, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
29. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, नरही, लखनऊ।
30. प्रबन्ध निदेशक, बीज विकास निगम, बादशाहनगर, लखनऊ।
31. निदेशक, सांख्यिकी, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।
32. निदेशक प्रसार, च.शे.आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर/ आ.न.दे.कृ. एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या/ सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ/ बॉदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बॉदा/ सै. हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
33. निदेशक, दूरदर्शन, लखनऊ।
34. निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ।
35. निदेशक, रिमोट सेन्सिग एप्लीकेशन सेण्टर, सेक्टर जी, जानकीपुरम, कुर्सी रोड, लखनऊ।

36. निदेशक, कृषि मौसम, मौसम केन्द्र, अमौसी, लखनऊ।
37. निदेशक सूचना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
38. अपर कृषि निदेशक(सामान्य), कृषि निदेशालय, कृषि भवन, लखनऊ।
39. अपर कृषि निदेशक, प्रसार, कृषि भवन, लखनऊ।
40. अपर कृषि निदेशक, कृषि रक्षा, कृषि भवन, लखनऊ।
41. संयुक्त कृषि निदेशक, शोध एवं मृदा सर्वेक्षण, कृषि भवन, लखनऊ को किसान कॉल सेंटर के उपयोगार्थ प्रेषित।
42. कृषि विभाग के सभी संयुक्त कृषि निदेशक, उप कृषि निदेशक एवं जिला कृषि अधिकारी
43. प्रदेश के 20 कम्युनिटी रेडियो।
44. प्रदेश के समस्त कृषि विज्ञान केन्द्र
45. प्रदेश के 1500 एफ.पी.ओ.
46. किसान मित्र चैट बॉट, कृषि समृद्धि टीम, कृषि विभाग, लखनऊ।
47. बैठक में उपस्थित संबंधित अधिकारी/वैज्ञानिक।
48. निजी सचिव महानिदेशक, उपकार को महानिदेशक महोदय के सूचनार्थ।

(विनोद कुमार तिवारी)
वैज्ञानिक अधिकारी एवं सदस्य सचिव

संलग्नक

मौसम आधारित राज्य स्तरीय कृषि परामर्श समूह (क्राप वेदर वाच ग्रुप) की वर्ष 2024–25 की सोलहवीं बैठक दिनांक 06 नवम्बर, 2025 की उपस्थिति

1. डा. ए.के. सिंह, सचिव, उपकार, लखनऊ।
2. डा. संजीव कुमार, उपमहानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
3. डा. राजर्षि कुमार गौड़, उपमहानिदेशक (आर.पी.एम.सी), उपकार, लखनऊ।
4. डा. विनोद कुमार तिवारी, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
5. डा. सौरभ दीक्षित, राईस ब्रीडर, क्राप रिसर्च स्टेशन, मसौधा, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या।
6. श्री के.पी.सिंह, उप कृषि निदेशक, (सांख्यिकी), कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश (ऑनलाइन)।
7. श्री अतुल कुमार सिंह, प्रभारी वैज्ञानिक, आंचलिक भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, अमौसी, लखनऊ।
8. डा. प्रिया रंजन कुमार, सह प्राध्यापक (पशु चिकित्सा स्त्री रोग), बी.एच.यू. वाराणसी (ऑनलाइन)।
9. श्री अमरनाथ मिश्र, सहायक प्राध्यापक (कृषि मौसम), आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या।
10. डा. अनुष्का पाण्डेय, प्रोग्राम मैनेजर, क्राप वेदर वॉच ग्रुप, उपकार, लखनऊ।
11. श्री प्रतीक कुमार, तकनीकी अधिकारी, शुआट्स, प्रयागराज।
12. श्री अमर सिंह, संयुक्त गन्ना आयुक्त, गन्ना विभाग, उत्तर प्रदेश
13. डा. सुरेन्द्र कुमार सिंह, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (कीट विज्ञान विभाग), बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा (ऑलनाइन)।
14. डा. यू.पी. शाही, प्राध्यापक मृदा विज्ञान एवं प्रधान अन्वेषक, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा (जीकेएमएस) सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ (ऑनलाइन)।
15. डा. दिनेश शाह, प्राध्यापक, शस्य विज्ञान एवं इंचार्ज, एग्रोमेट आबजरवेट्री, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा (ऑनलाइन)।
16. श्री आदित्य सिंह, सीनियर टेक्नीकल असिसटेंट, पादप रक्षा विभाग, कृषि विभाग, लखनऊ।
17. श्री हरिओम गुप्ता, एसटीए–ए, धान्य फसलें, कृषि विभाग, लखनऊ।
18. श्रीमती प्रियंका द्विवेदी, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट, उ.प्र. डिजास्टर मैनेजमेंट एथारिटी, प्रथम तल पिकअप भवन, गोमती नगर, लखनऊ (ऑनलाइन)।
19. डा. विनोद सिंह, पूर्व गेहूं प्रजनक, आचार्य, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या (ऑनलाइन)।
20. डा. राकेश चौधरी, वैज्ञानिक, अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग, रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी (ऑनलाइन)।
21. डा. आशाराम सिरवी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, सीएफआरआई, झांसी (ऑनलाइन)।
22. श्री सर्वेश चन्द्र, जिला उद्यान अधिकारी, उद्यान विभाग, लखनऊ।